न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मति रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 603/2018

1. स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर (राज.)

......वादी

बनाम

1. बुटासिंह पुत्र जंगसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
2. मनजीतसिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
3. हरमीतसिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
4. गुरदीपसिंह पुत्र .जंगसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
5. जंगीरकौर पत्नि नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
6. हरबन्ससिह पुत्र .नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
7. जसविन्द्रसिंह पुत्र .नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
8. दर्शनसिंह पुत्र .नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
9. छिन्द्रकौर पुत्री नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
10. प्रकाशकौर पुत्री नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
11. छोटोकौर पुत्री नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
12. गुरदासकौर पुत्री नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
13. सरदूलसिंह पुत्र.बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
14. हरभगवानसिंह पुत्र.बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
15. चन्दसिंह पुत्र उजागरसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
16. चमकौर सिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
17. हरप्रीतसिंह पुत्र चमकौरसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
18. गुरप्रीतसिंह पुत्र चमकौरसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
19. सुखमन्दरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
20. कौरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
21. दर्शनसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
22. हरमन्दरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर
23. गंगासिंह पुत्र वीरसिह जाति जटसिख निवासी 10एच तहसील श्रीकरनपुर

....प्रतिवादी

अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व आधिनियम

--निर्णय-- दिनांक : 31.12.18

सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि चक 10 एच की जमाबन्दी सवंत 2071से74 खाता संख्या 37 मु.नं. 12,28,33,34,35,40,41,42,43,51,54,55,61,94/6 94/7 कुल 39.121 हैक. रकबा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इस खाते मे खातेदारो के हिस्से का योग 36.785 हैक. है। इस प्रकार खातेदारों का हिस्सा 2.336 हैक कम है। जिस कारण यह खाता अपवादित है।

मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 5 में मु.नं. 28 कि.नं.10 मे 13 बिस्वा, मु.नं. 55 कि.नं. 20 में 2 बिस्वा भूमि दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2034 से 37 में खाता संख्या 19 के मु.नं. 28 के कि.नं. 10 में 13 बिस्वा व जमाबन्दी सवंत 2055 से 2058 में खाता संख्या 14 में मु.नं. 55 कि.नं. 20 में 2 बिस्वा रकबा सही था। जो कि आगामी जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

संवत 2038 से 2041 में खाता संख्या 18 में मु.नं. 28 कि.नं. 10 में 18 बिस्वा व संवत 2059 से 62 में खाता संख्या 17 के मु.नं. 55 कि.नं. 20 में 0.050 हैक दर्ज हो गया।

अतः मु.नं. 28 के कि.नं. 10 में 18 बिस्वा की जगह पर 13 बिस्वा और मु.नं. 55 कि.नं. 20 में 4 बिस्वा की जगह पर 2 बिस्वा दुरूस्तीकरण किया जाना उचित है।

इन्तकाल संख्या 13 दिनांक 15.03.78 विरास्तन में उजागरसिंह पुत्र नत्थासिंह 1574 हि.का विरास्तन इन्तकाल उजागरसिंह के सात वारिस चार लड़के जगंसिंह चन्दसिंह,नन्दसिंह,हरनेकसिंह तीन लडकिया भगवानकौर सुजानकौर ज्ञानकौर पि. उजागरसिंह बहिब. 7/8हिस्सा (1377–1/4) दर्ज हुआ। शेष रकबा 1/8 हि. (196– 3/4 हि.या 2.488 है0) विरास्तन इन्तकाल में दर्ज नहीं हुआ। यह अन्तर आज तक चला आ रहा है। उक्त नामान्तरणकरण संख्या 13 का अंकन जमाबन्दी संवत 2034 से 37 के खाता संख्या 19 में हुआ है। जिसमें भी खातेदारों का हिस्सा 196 –3/4 हि. कम है। जिसको मूल खातेदार उजागरसिंह के नाम जोड़ा जाना उचित है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उजागरसिंह के वारिसान बुटासिंह पुत्र जंगसिंह,मनजीतसिंह,हरमीतसिंह पि.बुटासिंह, गुरदीपसिंह पुत्र .जंगसिंह,जंगीरकौर पत्नि नन्दसिंह हरबन्ससिह,जसविन्द्रसिंह,दर्शनसिंह पि.नन्दसिंह छिन्द्रकौर प्रकाशकौर छोटोकौर गुरदासकौर पुत्रियान नन्दसिंह सरदूलसिंह हरभगवानसिंह पि.बलविन्द्रसिंह चन्दसिंह पुत्र उजागरसिंह चमकौर सिंह पुत्र हरनेकसिंह हरप्रीतसिंह गुरप्रीतसिंह पि.चमकौरसिंह के नाम दर्ज है।

इन्तकाल संख्या 237 दिनांक 1.8.2005 आदेश से उक्त खाते में मु.नं. 28 की 0.380 हैक. रकबा राज होने के कारण खातेदार गंगासिंह पुत्र वीरसिह 1.012 है.के स्थान पर 0.974है. चमकौरसिंह पुत्र हरनेकसिह 0.725 है0 के स्थान पर 0.586 हैक. सुखमन्दरसिंह, कौर सिंह दर्शनसिंह पि.हरीसिंह बहिब.1.138 हैक. के स्थान पर 0.986 हैक. हरमन्दरसिंह पुत्र हरीसिंह 0.569 हैक. के स्थान पर 0.518 हैक. हिस्सा दर्ज का नामान्तरणकरण स्वीकृत हुआ। नामान्तरणकरण का नोट सम्बन्धित जमाबन्दी सवंत 2059 से 62 में खाता संख्या 17 में लगाया गया। आगामी जमाबन्दी सवंत 2063 से 66 खाता संख्या 13 में उक्त नामान्तरणकरण अमल में लाया गया। परन्तु इसी जमाबन्दी संवत 2063 से 66 के खाता संख्या 13 में शुद्वि संख्या 4 दिनांक 26.07.2010 में खातेदार सुखमन्दरसिह, कौर सिंह दर्शनसिंह पि. हरीसिंह बहिब.1.138 हैक. हरमन्दरसिंह पुत्र हरीसिंह 0.569 हैक. शुद्वि की गई। जो सहवन से शुद्वि पत्र गलत तस्दीक हुआ है। अतः शुद्वि पत्र 4 दिनांक 26.07.2010 को रिवर्स किया जाना उचित है।

जमाबन्दी सवंत 2063 से 2066 खाता संख्या 13 में मु.नं. 33 कि.नं. 16 का रकबा 0.253 हैक. दर्ज था जो कि नामान्तरणकरण संख्या 321 दिनांक 16.12.2009 विभाजन डिक्री से मु.नं. 33 के कि.नं. 16 में 0.190 हैक. रकबा का अलग –अलग कायम किया गया। मुताबिक डिक्री शेष खाता बदस्तूर में नामान्तरणकरण दर्ज करते समय सहवन से मु.नं. 33 के कि.नं. 16 का रकबा 0.063 हैक. के स्थान पर 0.025 हैक दर्ज कर दिया गया। जमाबन्दी में उक्तानुसार नामान्तरणकरण का नोट लगाया गया।

अतः मु.नं. 33 में 16 में 0.025 हैक के स्थान पर 0.063 हैक. रकबा किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है जो त्रुटि का ज्ञान होने के बाद अविलम्ब पेश किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 10 एफ में मु.नं. 28 के कि.नं. 10 में 18 बिस्वा के स्थान पर 13 बिस्वा और मु.नं. 55 के कि.नं. 20 में 4 बिस्वा के स्थान पर 2 बिस्वा किया जावे और नामान्तरणकरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ...सिंहपुर (श्री गंगानगर)

13 का अमल जमाबन्दी संवत 2034 से 37 के खाता संख्या 19 में हुआ है। जिसमें भी खातेदारों का हिस्सा 196 3/4 हि. कम है। जिसको मूल खातेदार उजागरसिंह के नाम जोड़ा जाना उचित है। जमाबन्दी संवंत 2063से 66 के खाता संख्या 13 में शुद्वि संख्या 4 दिनांक 26.07.2010 में खातेदार सुखमन्दरसिह कौर सिंह दर्शनसिंह पि. हरीसिंह बहिब.1.138 हैक. हरमन्दरसिंह पुत्र हरीसिंह 0.569हैक. शुद्वि की गई। जो सह्वन से शुद्वि पत्र गलत तस्दीक हुआ है। शुद्वि पत्र 4/26.07.2010 को रिवर्स किया जाना उचित है। मु.नं. 33 में 16 में 0.025 हैक के स्थान पर 0.063 हैक. रकबा किया जाना उचित है। डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना के अन्तर्गत धारा 136एलआर एक्ट के तहत प्रविष्टियों को दरूस्त कर आदेश प्रदान किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 20 व 22 की ओर से दर्शन सिह अधिवक्ता उपस्थित आये। दिनांक 28.12.2018 को अप्रार्थी संख्या 19,20,21,22 के द्वारा स्वंय उपस्थित आकर शपथ पत्र पेश किया। शपथ पत्र मे अंकित किया कि चक 10 एच की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 37/10 मे हमारे नाम दर्शन सिह के नाम 1.543 हैक्टर, सुखमन्दर सिह के नाम 1.543 हैक्टर, हरमन्दर सिह के नाम 0.518 हैक्टर, कौर सिह के नाम 1.594 हैक्टर कुल 5.198 हैक्टर नहरी भूमि है ओर .5.198 हैक्टर नहरी भूमि पर हमारा कब्जा है। हमारे द्वारा उक्त खाता का दावा उपजिलाधीश श्रीकरणपुर मे चल रहा है जिस पर हमारे द्वारा ऐतराज किया गया है। अब हमारा उक्त खाता मे रकबा हमारे नाम के अनुसार किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही होगा ओर हमारे द्वारा जो ऐतराज किया है उस पर हम सहमत है। हमारे हलफनामा के आधार रकबा सही करके हमारे नाम किया जावे तथा खाता को सही किया जावे तो उचित होगा। हमारे उक्त खाता मे दावा किया है उसको हम वापिस ले रहे है। दावा हमारे द्वारा किया गया है उसको खारिज करके खाता सही कर दिया जावे।

पैरोकार राज के द्वारा निवेदन किया कि इस खाता मे यह त्रुटियां रिकार्ड की है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार यह अशुद्वियां सही किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र मे अंकित अनुसार प्रविष्टियो को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावे। जमाबंदी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 13 मे शुद्वि संख्या 4 दिनांक 26.07.2010 सहवन से शुद्वि पत्र गलत तस्दीक हुआ है जिसे रिवर्स किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र स्वीकार कर इन रिकार्ड की गलतियों को सही किये जाने के आदेश दिये जावे।

पैरोकार राज को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन संलग्न जमाबंदियो एवं दस्तावेजो, रिपोर्ट पटवारी हल्क़ा तथा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने पर स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार शुद्वि किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1) चक 10 एच के मु0 नं0 28 के किला नं0 10 मे अंकित 18 बिस्वा भूमि के स्थान पर 13 बिस्वा भूमि तथा मु0 नं0 55 के किला नं0 20 मे अंकित 4 बिस्वा भूमि के स्थान पर 2 बिस्वा भूमि अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(2) चक 10 एस के इन्तकाल संख्या 13 दिनांक 15.03.1978 उजागर सिह पुत्र नत्था सिह 1574 हिस्से का विरास्तन इन्तकाल उजागर सिह के सात वारिसान चार लडके जंग सिह, चंद सिह, नंद सिह,हरनेक सिह तीन लडकिया भगवान कौर, सुजान कौर, ज्ञान कौर पिसरान उजागर सिह बहिस्सा बराबर 7/8 कुल 1377-1/4 हिस्सा का दर्ज हुआ। शेष 1/8 हिस्सा अर्थात् 196-3/4 हिस्सा का विरास्तन इन्तकाल दर्ज नही हुआ। इस 196-3/4 हिस्सा अर्थात् 2.488 हैक्टर भूमि को मृतक उजागर सिह पुत्र नत्था सिह के नाम अंकित किये जाने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

के आदेश दिये जाते है एवं इस संबंध मे तहसीलदार श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि मृतक श्री उजागर सिह पुत्र नत्था सिह के नाम दर्ज इस 2.488 हैक्टर भूमि को मृतक श्री उजागर सिह के विधिक वारिसान के नाम नियमानुसार नामान्तरण दर्ज करे एवं इस संबंध मे पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

(3) चक 10 एच की जमाबंदी सम्वत 2063 ता 66 के खाता संख्या 13 मे शुद्धि सख्या 4 दिनांक 26.07.2010 से जो शुद्धि पत्र से भूमि दर्ज की गई है। इस शुद्धि संख्या 4 दिनांक 26.07.2010 को निरस्त किया जाता है।

(4) चक 10 एच के मु0 नं0 33 के किला नं0 16 मे अंकित 0.025 हैक्टर रकबा के स्थान पर 0.063 हैक्टर रकबा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। यह आदेश राज्य सरकार की डी. आई.एल.आर.एम.पी योजना के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस संबंध मे या इस भूमि के संबंध मे यदि किसी न्यायालय का कोई आदेश या स्थगन आदेश होगा ओर इस भूमि बाबत यदि किसी न्यायालय मे कोई प्रकरण विचाराधीन होगा तो यह आदेश उस न्यायालय के आदेश या स्थगन आदेश या विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।,

निर्णय आज दिनांक 31.12.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ravi

श्रीमति रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner